प्रारूप

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

योजना एवं विकास विभाग

योजना एवं विकास विभाग, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना/अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना/बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/मूल्यांकन निदेशालय, पटना/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यालय, पटना/योजना एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय परिचारी एवं वाहन चालक के लिए बाह्य स्त्रोत से कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदायी एजेन्सी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते है। आवेदन के साथ निविदा शुल्क के रूप में 5,000 (पाँच हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में निर्गत किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. सफल निविदादाता के साथ प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध होगा, जो संतोषप्रद कार्य के आधार पर अधिकतम पाँच वर्षों के लिए वर्षवार विस्तारित की जा सकेगी।

3. इच्छुक सेवा प्रदायी एजेन्सियों से , जिनका वार्षिक कारोबार मानव संसाधन सेवाएँ आपूर्ति के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में (वर्ष 2017–18 से 2019–2020/2020–21) 3 (तीन) करोड़ रूपये से कम न हो, मानव संसाधन सेवाएँ आपूर्ति के क्षेत्र में 3 वर्षों का कार्य अनुभव प्राप्त हो, तथा वर्णित अवधि में एक या अधिक सरकारी संस्थान/विभाग में कम से कम तीन सौ कर्मियों की सेवा प्रदान की गयी हो, के प्रमाण के साथ, दिनांक 25.02.2022 को अपराह्न 1.00 बजे तक डाक से या हाथो–हाथ केवल कार्य दिवसों में प्राप्त किये जायेंगे, तथा दिनांक 25.02.2022 को ही अपराह्न 03.00 बजे विभागीय क्रय समिति के अध्यक्ष–सह–विशेष सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय प्रकोष्ठ में विभागीय क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

4. निविदा से संबंधित किसी प्रकार की शंका के समाधान एवं अन्य जानकारी हेतु इच्छुक निविदादाता की प्रीबिड बैठक दिनांक 21.02.2022 को अपराह्न 3.00 बजे ऑनलाईन निर्धारित किया जाता है। जिसके लिए विभाग के वेबसाईट पर लिंक दिनांक 21.02.2022 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से उपलब्ध रहेगा।

5. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईट www.planning.bih.nic.in को देखा जा सकता है।

3/2/2022

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की निविदा संबंधी नियम एवं शर्ते

1. योजना एवं विकास विभाग, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना/अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना/बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/मूल्यांकन निदेशालय, पटना/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यालय, पटना/योजना एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय परिचारी एवं वाहन चालक के लिए बाह्य स्त्रोत से कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदायी एजेन्सी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते है।
2. निविदा दो लिफाफा प्रणाली प्रक्रिया के अंतर्गत देनी होगी। प्रथम लिफाफा में **'तकनीकी निविदा'** एवं दूसरे लिफाफा में **'वित्तीय निविदा'** समर्पित करना होगा, लिफाफे पर स्पष्ट शब्दों मे 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' अंकित करना होगा।
3. निविदा स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक अथवा हाथों–हाथ भी उप निदेशक (मुख्यालय स्थापना), योजना एवं विकास विभाग, बिहार (मुख्यालय), पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना–800015 के पते पर स्वीकार किया जाएगा।
4. सफल निविदादाता को 15,00,000/–(पन्द्रह लाख) रूपये Performance Security Deposit राशि का किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गत फिक्सड डिपोजिट रिसिप्ट/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में निर्गत किया गया हो, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से जमा करना होगा।
5. इस कार्य का अनुमानित वार्षिक मूल्य तीन करोड़ रूपयें है।

निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नांकित कागजात रखे जायेगेः–

i. निविदादाता एजेंसी के निबंधन प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

ii. 6,00,000/–(छः लाख) रूपये अग्रधन के रूप में किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गत फिक्सड डिपोजिट रिसिप्ट/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में निर्गत किया गया हो।

iii. टेन्डर शुल्क के रूप में 5,000/–(पांच हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में निर्गत किया गया हो। यह राशि NON refundable होगा।

iv. ESI, EPF एवं GST निबंधन प्रमाण पत्र तथा पैन नम्बर का स्व अभिप्रमाणित प्रति।

v. चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्षों (वर्ष 2017–2018 से 2019–2020/2020–21) का न्यूनतम 3 (तीन) करोड़ रूपये का टर्न ओवर प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित प्रति।

vi. किसी सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय में विगत तीन वर्षों में कम से कम तीन सौ कर्मियों की सेवा दिये जाने के संबंध में उक्त कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। (स्व अभिप्रमाणित प्रति।)

vii. विगत तीन वर्षों (2017–18 से 2019–20/2020–21 तक) के आयकर रिटर्न की छाया प्रति। (स्व अभिप्रमाणित प्रति।)

viii. एजेन्सी/कंपनी को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में काली सूची में नहीं डाला गया हो, से संबंधित शपथ पत्र। (मूल रूप मे)

केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा पर ही विचार किया जाएगा।

निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा निम्न प्रकार से दी जायेगी।

निविदादाता द्वारा सेवा शुल्क के रूप में दिया गया दर – (प्रतिशत के रूप में अंकित करें)	

त्कनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे एक बड़े लिफाफे के अंदर मुहरबंद रखे जाऐंगे जिस पर उपर स्पष्ट अक्षरों मे '**मानव संसाधन आपूर्ति हेतु निविदा**' लिखा हो।

<u>अन्य शर्तें</u>:–

1. निविदादाता द्वारा कर्मियों से निबंधन, नवीकरण, Processing fee आदि के नाम पर कोई शुल्क नही लिया जायेगा। सफल निविदा दाता को इसके संबंध में शपथ पत्र देना होगा। इसके उल्लंधन पर एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई किया जायेगा
2. आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 13876 दिनांक 03.11.2017 तथा पत्रांक 14556 दिनांक 17.11.2017 के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही इस आशय का एक शपथ पत्र भी सफल निविदादाता द्वारा देना होगा।
3. सफल एजेन्सी के साथ एकरारनामा की तिथि से यह अनुबंध एक वर्ष तक वैध होगा। एजेन्सी की सेवा संतोषप्रद होने पर संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार वर्षवार पांच वर्षो तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है।
4. अग्रधन की राशि निम्न स्थितियों में जब्त हो जायेगी :–

(i) निविदादाता द्वारा कार्य से इंकार करने की स्थिति में

(ii) एकरारनामा में निर्धारित शर्तो के उल्लंघन करने पर।

(iii) यदि निविदादाता द्वारा गलत सूचना के आधार पर निविदा मे भाग लिया गया हो।

5. चयनित एजेंसी को कर्मियों (कार्यालय परिचारी एवं वाहन चालक) की सूची उपलब्ध करानी होगी **जिसमें से चयन का अधिकार विभाग को होगा।**

6. प्रत्येक कर्मी के पारिश्रमिक का भुगतान उनकी उपस्थिति के आधार पर, श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर चयनित एजेंसी द्वारा किया जायेगा। मासिक दर की गणना 26 दिनों के आधार पर की जायेगी।
7. कार्यालय परिचारी तथा चालक को कुशल श्रेणी का मानदेय देय होगा। निविदादाता द्वारा कर्मी के मानदेय से EPF तथा ESI मद में कर्मचारी के अंशदान के समतुल्य राशि की कटौती अनुमान्य होगी जो नियोजक के अशंदान के साथ संगत मद में निविदादाता द्वारा जमा किया जायेगा।
8. निविदादाता द्वारा प्रत्येक माह EPF ,ESI/ नियमानुसार अन्य करो का भुगतान यथा समय करना होगा तथा इसकी विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।
9. यदि निविदादाता द्वारा किसी माह में कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाता है तब विभाग द्वारा सीधे उन कर्मियों को भुगतान करते हुए निविदादाता के अभिश्रव से राशि की कटौती कर ली जायेगी।
10. उपलब्ध कराये गये किसी भी कर्मी की सेवा वापस लेने के पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान/सक्षम प्राधिकार की सहमति वांछनीय होगा। बिना सहमति के कर्मियों की सेवा वापस नहीं ली जा सकेगी।
11. विभाग एवं संलग्न कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध कराए गए कर्मियों का सम्बन्धित थाना से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र देना होगा।
12. उपलब्ध कराये गये कर्मियों का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
13. (a) कार्यालय परिचारी एवं वाहन चालक मैट्रिक उर्त्तीण होने चाहिए। साथ ही किसी कार्यालय में कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। कार्यालय परिचारी को फोटो कॉपी करना/स्मार्ट मोबाईल फोन चलाना आना चाहिए। प्रशिक्षण/अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र सेवा प्रदायी एजेन्सी द्वारा निर्गत किया जायेगा एवं चयन के उपरांत सेवा के साथ उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(b) वाहन चालक को वाहन चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र एवं ड्राईविंग लाईसेंस की अभिप्रमाणित प्रति सेवा उपलब्ध कराने के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा। वाहन चालक को वाहन के बारे में सामान्य यात्रिक ज्ञान तथा ट्रैफिक नियमों की जानकारी रखना आवश्यक है।
14. सफल निविदा दाता को सुनिश्चित करना होगा कि सेवा उपलब्ध कराए गए कर्मी किसी प्रकार के नशा (शराब,सिगरेट,खैनी,तंबाकू आदि) का सेवन नही करेंगे।
15. सेवा उपलब्ध कराए गए कर्मी को शालीन वस्त्र यथा सफेद शर्ट, पेंट एवं जूता मे कर्तव्य पर उपस्थित होना होगा।
16. अगर कोई कर्मी कर्तव्य पर अक्षम या अनुशासनहीन पाये जाते है, तो संबंधित कार्यालय प्रधान की सूचना पर वैसे कर्मियों को हटाकर नये सक्षम कर्मी को एजेन्सी द्वारा नियुक्त किया जायेगा। किसी कर्मी द्वारा विभाग से सीधे पत्राचार किए जाने पर इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा।

17. सेवा प्रदायी एजेन्सी द्वारा प्रति नियुक्त कर्मी किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार या योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के अधीन सरकारी नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते।
18. सेवा प्रदायी एजेन्सी के द्वारा श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन अधिसूचनाओं/नियमों/अधिनियमों/प्रावधानो इत्यादि का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
19. कर्मियों के अपने कार्य संपादन के दौरान किसी चोट या विकृति की जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय/विभाग की नहीं होगी।
20. कार्यस्थल पर कर्मी की कार्य अवधि प्रतिदिन 9.30 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक होगा।
21. कार्यालय परिचारी को डाक/पत्र/कागजात एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पहुँचाना/वितरण करना होगा।
22. सेवारत कर्मियों को भविष्य में निर्धारित राशि से कम भुगतान होने अथवा भुगतान में अनियमितता पाए जाने की सूचना प्राप्त होने तथा एकरारनामा की शर्तों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा सकेगी।
23. निविदा से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार का निर्णय/आदेश अंतिम होगा।
24. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने अथवा संशोधित करने का अधिकार विभाग को सुरक्षित है।

3/2/2022

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

तकनीकी निविदा के लिए चेक लिस्ट

तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :–

1. निविदादाता एजेंसी के निबंधन प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
2. 6,00,000/–(छः लाख) रूपये अग्रधन के रूप में किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गत फिक्सड डिपोजिट रिसिप्ट/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में निर्गत किया गया हो।
3. टेन्डर शुल्क के रूप में 5,000/–(पांच हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में निर्गत किया गया हो। यह राशि **NON refundable** होगा।
4. ESI, EPF एवं GST निबंधन प्रमाण पत्र तथा पैन नम्बर का स्व अभिप्रमाणित प्रति।
5. चार्टर्ड एकाउंटेम्ट द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्षों (वर्ष 2017–2018 से 2019–2020/2020–21) का न्यूनतम 3(तीन) करोड़ रूपये का टर्न ओवर प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित प्रति।
6. किसी सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय में विगत तीन वर्षों में कम से कम तीन सौ कर्मियों की सेवा दिये जाने के संबंध में उक्त कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। (स्व अभिप्रमाणित प्रति।)
7. विगत तीन वर्षों (2017–18 से 2019–20/2020–21 तक) के आयकर रिटर्न की छाया प्रति। (स्व अभिप्रमाणित प्रति।)
8. एजेन्सी/कंपनी को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में काली सूची में नहीं डाला गया हो, से संबंधित शपथ पत्र। (मूल रूप मे)

FORMAT OF FINANCIAL BID

(TO BE SUBMITTED ON LETTERHEAD OF THE FIRM)

To: The Special Secretary
Planning & Development Department, Bihar, Patna

Sub : Submission of financial bid for providing manpower services on outsourcing basis.

Sir,

With response to your tender mentioned above, our firm will be pleased to provide the manpower service on outsourcing basis. Our quote for % of service charge is as under.

% of Service charge against monthly wages (as per minimum wages Act of Govt. of Bihar as revised from time to time) to be quoted in the box along side.	

GST shall be chargeable as per prevailing Govt. rules.
ESI, EPF & any other statutory obligation shall be applicable as per government norms.

Thanking you,

Yours faithfully,

Name and Signature of authorized signatory
Date :-

(seal of the firm)